

बिहार पशुचिकित्सा संघ, बिहार

कार्यालय-संघ भवन, विद्यापति मार्ग, पटना-800001

पत्रांक 20 /

दिनांक 19/03/2020

सेवा में,

निदेशक,

पशुपालन, बिहार, पटना।

विषय:- जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया द्वारा डॉ० प्रकाश सिंह बादल का गलत तरीके से प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के संबंध में।

प्रसंग- क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया का ज्ञापांक-764 दिनांक-16.09.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नोडल पदाधिकारी, APEDA, Meetnet, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा डॉ० प्रकाश सिंह बादल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फॉरविसगंज, अररिया को मे० अल-समीर, एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०-गोगी, पोठिया प्लांट, फॉरविसगंज के संचालन हेतु निदेशालय के पत्रांक-126 दिनांक-10.11.2016 द्वारा अधिकृत किया गया था, जिसको जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया द्वारा उनके कार्यालय का पत्रांक-879 दिनांक-28.06.2019 द्वारा डॉ० बादल की जगह गलत तरीके से मनमाने रूप में डॉ० विजय कुमार आनन्द, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, परसाहाट को प्रतिनियुक्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णिया प्रमण्डल के द्वारा पत्रांक-764 दिनांक-16.09.2019 जिला पशुपालन पदाधिकारी के इस कृत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की गयी कार्रवाई मानते हुए उसमें सुधार हेतु आदेश निर्गत किया गया। इन सब के बावजूद बिना निदेशालय से सहमति लिये गलत तरीके से APEDA, Meetnet, पर डॉ० विजय कुमार आनन्द का I.D. generate कर कार्य लिया जा रहा है।

अतः निवेदन है कि गलत ढंग से किये गये कृत की जाँच करवाते हुए न्यायोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

B. K. S. S.

(डॉ० विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव

मो०-7488601083